UPAU010036602022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार वर्मा–प्रथम, (एच.जे.एस.) – UP6552

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1601/2022

रुद्रप्रताप पुत्र अमरपाल, निवासी दिनवामऊ, थाना सहायल जिला औरैया।

.....प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

दिनांक–27.10.2022

प्रार्थी रुद्रप्रताप की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र थाना–सहायल, जनपद–औरैया, मुकदमा अपराध संख्या–122/2014, अन्तर्गत धारा–323,504,506,452,427 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी आज तक अन्तरिम जमानत पर था। उसके द्वारा आज अवर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया है और वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 03.06.2014 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि को वादी मुकदमा गोविन्द सिंह के घर में घुसकर बाबू सिंह, रवि, रघुराज सिंह एवं रुद्रप्रताप ने उसकी बहन प्रियंका को मारापीटा और घर में रखा सामान तोड़फोड़ दिया। जब उसकी बहन चिल्लाई तो गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। घटना वाले दिन ही समय करीब 11.15 बजे चुटहिला प्रियंका अपना चिकित्सीय परीक्षण कराती है, इसमें चार चोटें पायी जाती है, जो साधारण प्रकृति की हैं और संदिग्ध हैं। क्योंकि प्रियंका जब थाने पहुंचती है, तो उसके कोई जाहिरा चोट नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का नीलगू निशान अथवा रेडिस निशान पाया जाता है। एक्स–रे में भी कोई फ्रैक्चर नहीं पाया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है। घटना में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसके द्वारा किसी प्रकार के सामान की कोई तोड़फोड़ नहीं की गयी है और न ही मारपीट की गयी है। वादी मुकदमा के सगे बाबा शिवनाथ सिंह से उसके पिता का न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), बिधूना में वाद संख्या 212/2014 शिवनाथ बनाम अमरपाल आदि सिविल वाद का विचारण चल रहा है, इसी रंजिश को लेकर दबाव बनाने के लिए वादी द्वारा यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली–गलौज करते हुए, वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसकी बहन की मारपीट की गयी और घर में रखे सामान की तोड़फोड़ की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2022.10.27 16:39:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली–गलौज करते हुए, वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसकी बहन की मारपीट करना बताया है और घर में रखे सामान की तोड़फोड़ कर, जान से मारने की धमकी देना बताया है। मारपीट में आयी चोटों के सम्बन्ध में पत्रावली पर चुटहिला की चिकित्सीय आख्या उपलब्ध है, जिसके अनुसार उसके शरीर पर साधारण प्रकृति की चार चोट आना अंकित है। किसी प्रकार की कोई गम्भीर चोट आना अंकित नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी रुद्रप्रताप द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–122/2014, अन्तर्गत धारा–323,504,506,452,427 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सहायल, जनपद औरैया स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा 25,000/–रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, दाखिल करने पर नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–27.10.2022

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।